

## समुद्री रेत नषिकर्षण

### प्रलिस के लयि:

[सतत रेत खनन परबंधन दशिश-नरिदेश 2016, समुद्री रेत नगरानी](#)

### मेन्स के लयि:

समुद्री रेत नषिकर्षण, भारत में रेत खनन के परयावरणीय और सामाजकि-आर्थकि प्रभाव

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

## चर्चा में क्यो?

"मरीन सैंड वॉच (Marine Sand Watch)" नामक एक नवीनतम डेटा प्लेटफॉर्म ने रेत नषिकर्षण के पैमाने तथा इसके दूरगामी परणामों का खुलासा करते हुए इससे संबंधति प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला है ।

- वशिव के महासागरों से रेत का नरितर उत्खनन समुद्री पारसिथतिकि तंत्र तथा तटीय समुदायों के लयि गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है ।

## समुद्री रेत नषिकर्षण:

- परचिय:
  - समुद्री रेत नषिकर्षण नरिमाण, भूमि सुधार, समुद्र तट पोषण (Beach Nourishment) या खनन जैसे वभिन्न उद्देश्यों के लयि समुद्र तल या तटीय क्षेत्र से रेत नकालने की प्रकरयि है ।
- प्रकरयि:
  - ड्रेजगि:
    - ड्रेजगि (Dredging) समुद्री रेत नषिकर्षण का सबसे आम तरीका है । इसमें समुद्र तल से रेत नकालने और उसे कनारे या कसिी अन्य स्थान पर ले जाने के लयि सक्रशन पाइप या यांत्रकि पकड से सुसज्जति एक जहाज़ का उपयोग करना शामिल है ।
  - खनन:
    - खनन समुद्री रेत नषिकर्षण का एक अन्य तरीका है । इसमें रेत के भंडार को वखिंडति करने और उनमें से खनजि या धातु नषिकर्षण के लयि वशेष उपकरण, जैसे- ड्रलि, कटर या जेट का उपयोग करना शामिल है ।
  - संचयन:
    - संचयन, समुद्री रेत नषिकर्षण की एक न्यूनतम प्रचलति वधि है । इसमें तटीय क्षेत्र से रेत एकत्रति करने और इसे तट पर संचय करने के लयि लहरों, धाराओं या ज्वार जैसी प्राकृतकि शक्तियों का उपयोग करना शामिल है ।
- नषिकर्षण अनुमान:
  - इस प्लेटफॉर्म का अनुमान है क प्रत्येक वर्ष समुद्र तल से चार से आठ अरब टन रेत का नषिकर्षण कयि जा रहा है ।
  - समुद्री रेत नषिकर्षण प्रतविरष 10 से 16 बलियिन टन तक बढ़ने की उम्मीद है, जो प्राकृतकि पुनः पूरतिदर या वह मात्रा है जो नदयिों को तटीय और समुद्री पारसिथतिकि तंत्र संरचना तथा कार्य को बनाए रखने के लयि आवश्यक है ।

## मरीन सैंड वॉच:

- यह संयुक्त राष्टर परयावरण करयकरम (UNEP) के अंतरगत सेंटर फॉर एनालटिकिस द्वारा वकिसति एक डेटा प्लेटफॉर्म है ।
- यह प्लेटफॉर्म वशिव के समुद्री वातावरण में रेत, मटिटी, गाद, बजरी और चट्टान की ड्रेजगि (हटाने) गतविधियिों को ट्रैक और मॉनीटर करेगा ।
- यह वशिषिट आर्थकि क्षेत्र वाले देशों द्वारा रेत नषिकर्षण के लयि उपयोग कयि जाने वाले क्षेत्रों, पूंजी और रखरखाव, ड्रेजगि के क्षेत्रों, रेत-व्यापार बंदरगाहों/हबों, जहाजों और ऑपरेटरों की संख्या, तलछट के नषिकर्षण एवं अन्य प्रकार की गतविधियिों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ।

## समुद्री रेत नषिकर्षण के प्रभाव:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - जल का मैलापन: रेत निकालने से जल का मैलापन (किसी तरल पदार्थ की सापेक्ष स्पष्टता का माप) बढ़ जाता है, जिससे जल की स्पष्टता कम हो जाती है तथा जलीय पारस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
  - पोषक तत्वों में परिवर्तन: यह पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने के साथ-साथ संभावित रूप से समुद्री वनस्पतियों तथा जीवों को नुकसान पहुँचाता है।
  - ध्वनि प्रदूषण: नषिकर्षण प्रक्रिया से ध्वनि प्रदूषण होता है जो समुद्री जीवों और उनके आवासों को प्रभावित कर सकता है।
- **सामुदायिक और अवसंरचनात्मक प्रभाव:**
  - तटीय समुदाय की संवेदनशीलता: तटीय समुदायों को समुद्र के बढ़ते स्तर और तूफानों से संरक्षण के लिये सुरक्षा अवसंरचनाओं के लिये रेत की आवश्यकता होती है, समुद्री रेत नषिकर्षण के कारण उनमें सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ने की काफी संभावना होती है।
  - अवसंरचना निर्माण में महत्त्व: पवन और तरंग टरबाइन सहित अपतटीय ढाँचे के निर्माण के लिये समुद्री रेत महत्त्वपूर्ण है।
  - लवणीकरण का जोखिम: तटीय नषिकर्षण से जलभृत्तों का लवणीकरण हो सकता है जिससे मीठे जल के संसाधन प्रभावित हो सकते हैं।
  - पर्यटन विकास: रेत निकासी कार्य आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास में बाधा बन सकता है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

## समुद्री रेत नषिकर्षण पर प्रतिक्रियाएँ:

- **भारत में रेत खनन:**
  - खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को "लघु खनजि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लघु खनजिों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है।
  - नदियाँ और तटीय क्षेत्र रेत के मुख्य स्रोत हैं तथा देश में निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास में आई तेजी के कारण हाल के वर्षों में इसकी मांग काफी बढ़ गई है।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वैज्ञानिक रेत खनन तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये "सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016" जारी किये हैं।
- **वैश्विक प्रतिक्रियाएँ:**
  - इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम तथा कंबोडिया जैसे कुछ देशों ने पछिले दो दशकों में समुद्री रेत निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **UNEP की सफ़ारिशें:**
  - UNEP, रेत नषिकर्षण तथा उपयोग की बेहतर नगिरानी की वकालत करता है।
  - UNEP समुद्री पर्यावरण में रेत नषिकर्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना का आह्वान करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA):**
  - ISA एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनन तथा अन्वेषण को नियंत्रित करता है।
  - ISA की स्थापना वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के तहत की गई थी।

## आगे की राह

- समुद्री रेत नषिकर्षण के संधारणीय विकल्पों के लिये अधिक नवाचार तथा निवेश की आवश्यकता है। इसमें बेहतर निर्माण सामग्री, पुनर्रचरण एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से रेत की मांग को कम करना शामिल है।
- इसमें रेत के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी शामिल है, जैसे क्रशड रॉक्स अथवा खदान की धूल से वनिरिमित रेत, रेगस्तान या ज्वालामुखीय रेत जैसे प्राकृतिक स्रोत भी शामिल हैं।
- विभिन्न स्तरों पर समुद्री रेत नषिकर्षण का प्रभावी प्रशासन तथा वनियमन महत्त्वपूर्ण है। इसमें पर्यावरण मूल्यांकन, लाइसेंसिंग, रिपोर्टिंग एवं ऑडिटिंग के लिये स्पष्ट मानक स्थापित करना शामिल है।
- **UNEP मरीन सैंड वॉच पहल** एक सकारात्मक कदम है, लेकिन बेहतर डेटा तथा नीति निर्धारण के लिये हतिधारकों से अधिक सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. प्निनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. वैश्विक महासागर आयोग अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल की खोज और खनन के लिये लाइसेंस प्रदान करता है।
2. भारत को अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
3. 'दुर्लभ मृदा खनजि' अंतरराष्ट्रीय समुद्र जल तल पर मौजूद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- वैश्विक महासागर आयोग वर्ष 2013 और वर्ष 2016 के बीच जागरूकता बढ़ाने, महासागर के क्षरण को संबोधित करने के लिये कार्रवाई को बढ़ावा देने तथा इसे पूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में बहाल करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय पहल थी।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जो अंतरराष्ट्रीय जल में महासागरों के समुद्री गैर-जीवित संसाधनों की खोज और दोहन को वनियमिति करने के लिये स्थापित किया गया है। यह गहन समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन पर विचार करता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है तथा खनन गतिविधियों की नगिरानी करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- भारत वर्ष 1987 में 'पायनियर इन्वेस्टर' का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था और नोड्यूल की खोज के लिये भारत को मध्य हृदि महासागर बेसिन (CIOB) में लगभग 5 लाख वर्ग कमी. के क्षेत्र पर अनुमति प्रदान की गई थी। मध्य हृदि महासागर बेसिन में समुद्र तल से पॉलीमेटलिक नोड्यूलस की खोज करने के लिये भारत के विशेष अधिकारों को वर्ष 2017 में पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था। अतः कथन 2 सही है।
- दुर्लभ पृथ्वी खनजिों में अद्वितीय चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल गुण होते हैं तथा इस प्रकार उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सहित कई आधुनिक प्रौद्योगिकियों में इन्हें उपयोग किया जाता है। उन्हें 'दुर्लभ पृथ्वी' (रेयर अर्थ) कहा जाता है क्योंकि पहले तकनीकी रूप से उन्हें उनके ऑक्साइड रूपों से निकालना कठिन था।
- दुर्लभ मृदा खनजि अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल पर पाए जाते हैं। विभिन्न महासागरों के समुद्र तल में दुर्लभ-पृथ्वी खनजिों का वशिव का सबसे बड़ा अपरयुक्त संग्रह है। अतः कथन 3 सही है।

**??????:**

प्रश्न. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर बालू के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/marine-sand-extraction>

